

अत्यावश्यक



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या न० नि० 50-15/2025.....^{27/26}

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.),
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
—सह—जिला पदाधिकारी सारण।

पटना, दिनांक—^{14.6.25}

विषय :- नालन्दा जिला से प्राप्त सी.यू. मे एफ.एल.सी. के दौरान अत्याधिक खराबी पाये जाने के संबंध में।
प्रसंग :- आपाक पत्रांक—1947 दिनांक—10.06.2025
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन/उप निर्वाचन, 2025 के लिए आपके जिले में कुल अनुमानित मतदान केन्द्रों की संख्या—49 है जिसके अनुसार 30 प्रतिशत रिजर्व के साथ 51 बी.यू. और सी.यू. की आवश्यकता है। आपके जिले में एफ.एल.सी. के उपरान्त वर्किंग यूनिट की संख्या (बी.यू. 105 एवं सी.यू. 57) है, जो नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु पर्याप्त है।

पंचायत उप निर्वाचन, 2025 हेतु तृतीय चरण में ई.वी.एम. की टैगिंग दिनांक—30.06.2025 के पश्चात सभी जिलों को आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक— न०नि०—50—15/2025 ^{27/26}

पटना, दिनांक—^{14.6.25}

प्रतिलिपि :- सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)—सह—जिला पदाधिकारी, (सारण जिला को छोड़कर) बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक— न०नि०—50—15/2025 ^{27/26}

पटना, दिनांक—^{14.6.25}

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।